निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

25 आषाढ़ 1948 (श0)
(सं0 पटना 785) पटना वृहस्पतिवार 16 जुलाई 2026

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ

आदेश
2 अप्रील 2026

सं0 सं०–4बी/लिपिक–02–57/2026/386(4B)स्वा०—जिला पदाधिकारी–सह–अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, जहानाबाद का ज्ञापांक–08मु0/स्था0, दिनांक–17.02.2026 के द्वारा दिनांक–17.02.2026 को आयोजित जिला अनुकम्पा समिति के बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में सिविल सर्जन, जहानाबाद का पत्रांक–803, दिनांक–12.03.2026 के द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आधार पर वर्ग–3 (तृतीय वर्ग) समूह–''ग'' (निम्नवर्गीय लिपिक) के पद पर स्वीकृत वेतनमान् 5,200–20,200, ग्रेड पे–1,900/–, लेवल–2 के साथ–साथ सरकार द्वारा समय–समय पर देय अन्य भत्तों क साथ अस्थायी एवं औपबंधिक रूप से निम्नांकित शर्त्तों के साथ अनुशंसित अभ्यर्थी को उनके नाम के सामने अंकित स्वास्थ्य संस्थान में तृतीय वर्ग समूह–''ग'' (निम्नवर्गीय लिपिक) के रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता हैः–

क्रम सं0	अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त कर्मी का नाम एवं पता	मृतक सरकारी सेवक का नाम जिनके आश्रित पुत्र को नियुक्त किया गया है	पदनाम एवं वेतनमान	पदस्थापित संस्थान का नाम
1	श्री अजय कुमार, पिता–श्री नागेन्द्र प्रसाद, ग्राम–गन्नीपुर, वार्ड नं0–12, पोस्ट–चमर बिगहा, थाना– हिलसा, जिला– नालन्दा, पिन कोड– 801302	स्व0 मंजु कुमारी सिन्हा, भूतपूर्व ए0एन0एम0, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, काको, जहानाबाद	समूह–''ग'' (वर्ग–3) (निम्नवर्गीय लिपिक) Pay Matrix Level-2 ग्रेड पे–1,900/– वेतनमान–5200–20200	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, काको, जहानाबाद।

संबंधित कर्मी को निदेशित है कि पत्र प्राप्ति के 15 (पन्द्रह) दिनों के अंदर नव पदस्थापित संस्थान में योगदान देना सुनिश्चित करें।

(1) यह नियुक्ति आवेदक के द्वारा समर्पित शपथ–पत्र एवं सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं को प्रथम दृष्टया सही मानकर एवं पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है। सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी। पूर्ववृत सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त करने/चरित्र सत्यापन कराने की जिम्मेवारी सिविल सर्जन, जहानाबाद की होगी तथा पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन (PVR) से विभाग को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

(2) नवनियुक्त निम्नवर्गीय लिपिक की परीक्ष्यमान अवधि दो वर्षो की होगी।

(3) यह नियुक्ति आवेदक के द्वारा समर्पित शपथ–पत्र के आधार पर उनके शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण पत्रों को सही मानकर इस शर्त के साथ की जा रही है कि भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण पत्रों एवं अन्य संगत प्रमाण पत्रों के गलत अथवा नियम विरूद्ध पाये जाने की स्थिति में इनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार आवश्यक कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी।

(4) सिविल सर्जन, जहानाबाद की यह जवाबदेही होगी कि नवपदस्थापित निम्नवर्गीय लिपिक से उनके शैक्षणिक व अन्य संगत प्रमाण पत्रों की स्व–अभिप्रमाणित छायाप्रति प्राप्त करेंगे तथा मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर संतुष्ट हो लेंगे। साथ ही उनके सभी शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण पत्रों का संधारण करेंगे तथा उक्त प्रमाण पत्रों का जाँच एवं सत्यापन कराकर विभाग को तीन माह के अन्दर निश्चित रूप से अवगत करायेंगे।

(5) बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली–2005 द्वारा प्रतिवादित वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं0–1964, दिनांक–31.08.2005 एवं 768, दिनांक–03.07.2007 के अनुसार प्राप्त निदेश के आलोक में अभ्यर्थी पर नई अंशदायी पेंशन योजना से आच्छादित होंगे।

(6) नवनियुक्त निम्नवर्गीय लिपिक को पदस्थापित स्थान पर योगदान करने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(7) योगदान के समय नवनियुक्त निम्नवर्गीय लिपिक को असैनिक शल्य चिकित्सक–सह– मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

(8) सिविल सर्जन, जहानाबाद द्वारा विभाग से नियुक्ति आदेश संपुष्टि कराने के पश्चात् वेतनादि का भुगतान योगदान की तिथि से किया जायेगा।

(9) नवनियुक्त निम्नवर्गीय लिपिक का प्रथम वेतनादि भुगतान उनके शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण पत्रों, पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन आदि के अंतिम जाँच प्रतिवेदन के फलाफल के आधार पर किया जायेगा। कोई प्रमाण पत्र गलत पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।

(10) नवनियुक्त निम्नवर्गीय लिपिक सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या–1919, दिनांक–18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने/न देने संबंधी घोषण पत्र योगदान/प्रभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

आदेश से,
डॉ0 रेखा झा,
निदेशक प्रमुख,
रोग नियंत्रण, लोक स्वा0, पारा मेडिकल्स।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 785-571+10-डी0टी0पी0
Website: https://egazette.bihar.gov.in